E-Mail

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

संख्या – 03/भू0अ0नि0 (6) विशेष सर्वे (नियमावली)– 20/2024 6016

प्रेषक

सरकार के अवर सचिव,
भू–अभिलेख एवं परिमाप,
बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी बन्दोबस्त पदाधिकारी,
बिहार।

पटना, दिनांक :– 29/08/2025

विषय :– राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या–156 (8)/रा0 दिनांक–25.04.2025 का प्रेषण।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या–156 (8)/रा0 दिनांक–25.04.2025 के द्वारा बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त (संशोधन) नियमावली, 2025 को बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित कराया गया है, की छायाप्रति पत्र के साथ आवश्यक कार्रवाई हेतु संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

अनुलग्नक– यथोक्त।

विश्वासभाजन
29/8/25
सरकार के अवर सचिव
भू–अभिलेख एवं परिमाप,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक :–03/भू0अ0नि0 (6) विशेष सर्वे (नियमावली)– 20/2024 6016 पटना, दिनांक:– 29/08/2025

प्रतिलिपि :– सभी प्रमंडलीय आयुक्त/समाहर्त्ता, बिहार को गजट की प्रति के साथ सादर सूचनार्थ प्रेषित।

29/8/25
सरकार के अवर सचिव
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :–03/भू0अ0नि0 (6) विशेष सर्वे (नियमावली)– 20/2024 6016 पटना, दिनांक:– 29/08/2025

प्रतिलिपि :– निदेशक, चकबन्दी, बिहार, पटना को गजट की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

29/8/25
सरकार के अवर सचिव
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :–03/भू0अ0नि0 (6) विशेष सर्वे (नियमावली)– 20/2024 6016 पटना, दिनांक:– 29/08/2025

प्रतिलिपि :– सभी अपर समाहर्त्ता/भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बिहार को गजट की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

29/8/25
सरकार के अवर सचिव
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :–03/भू0अ0नि0 (6) विशेष सर्वे (नियमावली)– 20/2024 6016 पटना, दिनांक:– 29/08/2025

प्रतिलिपि :– प्रशाखा पदाधिकारी/निदेशालय में पदस्थापित सभी जिले के नोडल पदाधिकारी/प्रभारी, आई0टी0 सेल, भू–अभिलेख एवं परिमाप को गजट की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

29/8/25
सरकार के अवर सचिव
भू–अभिलेख एवं परिमाप

D:\Sanjeev-2025\Mayur\Under Sec\file no._20_2024_28.08.2025.doc

ज्ञापांक :–03/भू0अ0नि0 (6) विशेष सर्वे (नियमावली)– 20/2024 6016 **पटना, दिनांक**:– 29/08/2025

प्रतिलिपि :– श्री कुणाल किशोर/श्री प्रिन्स कुमार, प्रोग्रामर भू–अभिलेख एवं परिमाप को गजट की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

29/8/25

सरकार के अवर सचिव
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :–03/भू0अ0नि0 (6) विशेष सर्वे (नियमावली)– 20/2024 6016 **पटना, दिनांक**:– 29/08/2025

प्रतिलिपि :– जिलो से संबंधित तीनों हवाई सर्वेक्षण एजेंसी को गजट की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

29/8/25

सरकार के अवर सचिव
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :–03/भू0अ0नि0 (6) विशेष सर्वे (नियमावली)– 20/2024 6016 **पटना, दिनांक**:– 29/08/2025

प्रतिलिपि :– श्रीमती सरिता कुमारी, प्रोग्रामर, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना को गजट की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

29/8/25

सरकार के अवर सचिव
भू–अभिलेख एवं परिमाप

निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

10 वैशाख 1947 (श0)

(सं0 पटना 354) पटना, बुधवार, 30 अप्रील 2025

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

अधिसूचना

25 अप्रील 2025

बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्ती (संशोधन) नियमावली, 2025

सं० 3/मू0अ0नि0 (6) विशेष सर्वे (नियमावली)–20/2024–156(8)/रा0—बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त अधिनियम, 2011 (बिहार अधिनियम 24, 2011) (समय–समय पर यथा संशोधित) की धारा–28 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्संबंधी बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त (यथा संशोधित) नियमावली, 2012 का संशोधन करते हुए निम्नलिखित संशोधन नियमावली बनाती है:–

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ।–
   (1) यह नियमावली "बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त (संशोधन) नियमावली, 2025" कही जा सकेगी।
   (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
   (3) यह राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।
2. बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त (यथा संशोधित) नियमावली, 2012 के नियम–09 के उप नियम–3 (ख) में उप नियम (iv) के बाद उप नियम–(V) अन्तः स्थापित किया जायेगा:–

"नियम–9(3)(ख)(V):– बदलैन– दो रैयतों के मध्य परस्पर मौखिक सहमति के आधार पर किये गये किसी भू–खण्ड का बदलैन, जो पूर्व से क्रियान्वित हो तथा वर्तमान में दोनों रैयतों का बदलैन की भूमि/भू–खंड पर परस्पर शांतिपूर्ण दखल–कब्जा कायम हो तथा वर्तमान वैद्य दखलकारों द्वारा लिखित में सहमति दी गयी हो।"

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
दीपक कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव।

Revenue and Land Reforms Department.

Notification

The 25th April 2025

The Bihar Special Survey and Settlement (Amendment) Rules, 2025

No.-03/Bhu.A Ni (6) Special Survey (Rule)-20/2024-156(8)/Ra.—In exercise of the powers conferred by Section 28 of the Bihar Special Survey and Settlement Act, 2011 (Bihar Act 24, 2011) (as amended from time to time), the State Government hereby makes the following Amendment Rules to amend the Bihar Special Survey and Settlement (as amended) Rules, 2012:-

1. ***Short title, extent and commencement.-***
   (1) These rules may be called "The Bihar Special Survey and Settlement (Amendment) Rules, 2025."
   (2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.
   (3) It Shall come into force from the date of Publication in the Official Gazette.

2. ***Sub-rule (V) shall be added after sub rule (iv) of sub rule 3 (b) of Rule 9 The Bihar Special Survey and Settlement (as Amended) Rules, 2012 :-***

"Rule 9 (3) (b) (v) :- ***Exchange-*** Exchange of a piece of land done on the basis of mutual verbal consent between two land holders (Raiyats) which has been implemented earlier and at present, both the land holders have also mutual peaceful possession on the exchanged land and written consent has been given by the current valid occupants."

By order of the Governor of Bihar,
DIPAK KUMAR SINGH,
Additional Chief Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण)354-571+10-डी0टी0पी0।
Website: https://egazette.bihar.gov.in